

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं..... 280 113-14

**कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)**

आज दिनांक ..... को ग्राम ..... रुद्रपरी क्षेत्र में आयोजित कैम्प में  
 श्री महाराजा इत्वा केवी ..... ग्राम इकाइ इमाल ..... थाना ..... आतमजगत् ..... जिला ..... ५२७।  
 दसीका नं० ..... 7113 ..... दिनांक ..... २२/१२/१२ ..... के द्वारा निर्मांकित जमीन का  
 दाखिल खरिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

माँजा	थाना नं०	खाता नं०	स्लौट नं०	रकबा	लगान
<u>काजी बाजा</u>	<u>७५३०</u> <u>२०</u>	<u>५१२</u> <u>८५</u>	<u>८५१८</u> <u>८७</u>	<u>m.s.f</u> <u>१२४</u>	<u>४३१.७३</u> <u>रुपये</u> <u>१९८.११६५/१५४</u>

11/५७/१३

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में  
 संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थिति  
 व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज .....  
 किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

MS

अंचलाधिकारी, पटना सदर

अंचलाधिकारी, पटना सदर